

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फ़ैक्स 05942-236552, ई-मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नहीं, नहीं, कभी नहीं

गौरी के जिले में हेल्थ बोर्ड ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की बहुत बड़ी स्कीम चलाई। गौरी और उसकी सहेलियों ने इसकी सफलता के बारे में रेडियो पर सुना। लेकिन अपने आसपास देखने से पता चला कि किसी बच्चे को दवाई नहीं पिलाई गई थी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से जाकर यह जानकारी मांगी कि कितनी दवाई जिले में आई थी, कितनी पिलाई गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह सब बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह सारी सूचना देने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं।

एक पत्रकार ने अखबार में पढ़ा कि एक ही इलाके में एक अवधि के बीच कई बच्चों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। जब उसने गांव-गांव जाकर इसकी जानकारी ली तो उसे पता चला कि बच्चे बीमारी से नहीं, भूख से मरे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टर ने इसके बारे में जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया।

एक इलाके के लोग कई हफ्तों से राशन की दुकान पर चावल और चीनी लेने जा रहे थे। रोज यही जवाब मिलता-आये नहीं हैं, खत्म हो गए। बार-बार परेशान होने पर लोगों ने लाला से कहा कि सामान का रजिस्टर दिखाओ हम जानना चाहते हैं कि कितना सामान आया, कब आया और कब बांटा गया लाला ने धमका कर कहा "तुम्हारे बाप की दुकान है क्या? मैं कोई रजिस्टर न रखूंगा न दिखाऊंगा। कर लो जो कर सकते हो।"

कई बड़े-बड़े अफसर और नेता अपनी कार्य की अवधि समाप्त होने के कई साल बाद तक सरकारी मकानों पर कब्जा किये बैठे थे। कईयों ने तो किराया भी नहीं दिया था बात खुलने पर इस मुद्दे की छानबीन के लिए संसद की एक समिति बनाई गई। जब कुछ पत्रकारों ने समिति से उन लोगों के नामों की सूची मांगी जो घरों पर कब्जा किए हुए थे, उन्हें जवाब मिला-"यह गुप्त मामला है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए।"

शब्बीर और सुनील ने अपने नाम रोजगार विभाग (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) में पांच साल पहले दिए थे। जब भी विभाग में वह अपनी स्थिति के बारे में पूछते तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तब उन्हें पता चला कि उनके सहपाठी शंकर को नौकरी मिल गई है, जबकि उसने उन दोनों के बाद अपना नाम दिया था। उन्होंने मांग की कि उन्हें एक्सचेंज के रोल दिखाए जायें। विभाग के अधिकारियों ने कहा-"यह सरकारी सूचना है किसी को नहीं दिखाई जा सकती।"

रामलीबाई को अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला था। अब उसे अपने नाम पर कराना चाहती थी। भाईयों ने कुछ झगड़ा डाला तो तहसीदार ने रामली से कहा कि जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेजों की कापियां ले कर आओ। रिकार्ड कार्यालय में कागजों और दस्तावेजों को इतना बुरा हाल था कि रामलीबाई के दस्तावेज कई महीनों तक नहीं मिल पाये और उसका अधिकार मारा गया। अधिकारियों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

रामपुर गांव के लोगो ने सुना था कि गांव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है। तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा। जब गांव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना मांगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। सरपंच ने कहा-

"यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ जानने का अधिकार नहीं है" लेकिन रामपुर गांव के लोगो को यह जानने का अधिकार है कि -

- पुल बनने के लिए कितना पैसा दिया गया है?
- पुल कितने समय में बनेगा?
- पुल बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने वेतन पर?
- पुल किस विशेष स्थान पर बनेगा?

- यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

इसीलिए, रामपुर गांव के लोगो को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्हें यह भी जानने का हक है कि पुल बनाने के लिए कितना पैसा तय किया गया है। वे उन सब दस्तावेजों के हकदार हैं जिनसे पता चलता है कि किस समग्रि पर कितना खर्च हुआ इत्यादि।

जानना क्यों जरूरी है?

कई ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो हमारे जीवन के कई तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है। हमें यह अधिकार है कि हमें ऐसी जरूरी बातों के बारे में पता चले। यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता।

सरकार और शासन लोगों के लिए हैं और कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढंग से नहीं होता, तो शासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी हैं कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। इस कहते हैं शासन की जनता को जवाबदारी।

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिए ही होता है। हम शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के टैक्सों द्वारा पैसा देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिए, हमारे ही पैसों से होता है।

यह काम जरूरतों के अनुसार हो, इसके लिए हमें काम की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसे कहते हैं शासन में लोगों की भागीदारी।

निर्णय जानने के लिए, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिए, हिसाब मांगने के लिए, ब्यौरा मांगने के लिए और शासन को अपने काम के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए, सूचना आवश्यक है।

सूचना किसे कहते है?

सूचना कई रूप ले सकते हैं – वह सरकारी व शासकीय कार्यवाही और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है। शासकीय रजिस्ट्रों में एन्ट्री की कापियां, खातों की कापियां, विभागों की प्रक्रियाएं और नियम, किसी निर्माण कार्य का चित्रांकन या मानचित्र (नक्शा) सभी चीजें आम नागरिक के लिए सूचना है। खरीदे गए सामान के बिल का वाऊचर देख कर हमें यह सूचना मिल सकती है कि क्या-क्या खर्च हुआ।

इन सब चीजों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है –

एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली कि कुछ पैक-बंद खाने की चीजों में (जैसे हल्दी, शिशुओं की दूध पाउडर इत्यादि) कीटाणु नाशक पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य-संबंधी बातों पर काम कर रही एक संस्था ने जब रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने के लिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी लोगों के लिए आवश्यक है।

यह अधिकार हमें किसने दिया है ?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है। देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है। हां, कुछ खास कारणों से लोगो का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है। इन खास अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। यही अधिकार हैं जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं।

बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार :-

इसका मतलब है कि अपनी बात खुल कर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाजायज रोक से व्यक्त करना। अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना-चाहे वह बोलकर या लिखकर, चित्र या मूर्ति

बनाकार हो। इस अधिकार का एक जरूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में। बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते।

सामान्यता का अधिकार :-

सभी को कानून की नजर में समान व्यवहार का अधिकार है। इसलिए समान रूप से हर व्यक्ति को सूचना मिलना भी इसमें शामिल है, क्योंकि सूचना एक व्यक्ति की शक्ति होती है। सूचना रखने वाले व्यक्ति में और सूचना से वंचित व्यक्ति में असमानता पैदा होती है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार :-

इसका मतलब है वे सभी चीजें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाजायज रोक-टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है अपने जीवन से जुड़ी अहम बातों की जानकारी का अधिकार।

उड़ीसा के जिले में नहर बनने वाली थी। आपस से चर्चा होने पर वहां के लोगों को लगा कि जिस जगह वह नहर बनने वाली हैं, वहां नहर न तो उपयोगी होगी न ही पर्यावरण के हिसाब से सही। उन्होंने सिचाई विभाग को अपनी बात कहने के लिए, नहर के बारे में कुछ ब्यौरे मांगे। जवाब यह मिला कि ये उन्हें नहीं दिए जा सकते क्योंकि यह सरकारी सूचना हैं। लोगो को नहर के बारे में सूचना लेने का अधिकार है, ताकि वे नहर के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें।

फिर सूचना मिलती क्यों नहीं ?

सूचना अधिकारी इसलिए मना की जाती है क्योंकि -

- कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना रोकी जा सकती है।

कुछ कानून जो सूचना देने को आड़े आते हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923

इस तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने अपने बचाव के लिए बनाए थे।

ये लोकतंत्र के नियमों के और हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है।

इन्हें बदलने की और कुछ को हटाने की आवश्यकता है।

- शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है। वह 'गुप्त सूचना' की आड़ में अपने को बचाना चाहता है।

- मांगी सूचना मिलनी ही मुश्किल है क्योंकि सरकारी फाइलें, दस्तावेजों और कागज रखने का ढंग बहुत खराब और पुराने ढंग का है।

- लोग यह जानते ही नहीं कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिए कोई इन्कार करता है तो वह अपने हक को बलपूर्वक नहीं जताते। अभी की स्थिति में यह हक लेने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है।

- सूचना मांगने या प्राप्त करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होगी।

सूचना के अधिकार पर एक केन्द्रीय कानून संसद ने पारित किया है। इस कानून का नाम है 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' अंग्रेजी में इसका नाम है 'राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐक्ट, 2005'।

इस कानून की मुख्य बातें :-

- सूचना के अधिकार का उद्देश्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

- हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 'लोक शक्तियां' यानि सरकारी, शासकीय संवैधानिक संस्थाएं और विभाग इसमें सरकार द्वारा दिए गए भारी मात्रा का आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं।

● 'सूचना' का मतलब है किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यों या निर्णयों से संबंधित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।

● सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :-

● रिकार्डों का अवलोकन करने उनमें से अंश या नोट लेना।

● रिकार्डों की सत्यापित प्रतियां (सर्टीफाईड कॉपी) लेना।

● किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना।

● कम्प्यूटर की फ्लॉपी, डिस्कट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।

● इस कानून की एक अहम बात है कि सरकारी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे अपने रिकार्डों को सही ढंग से रखे जिससे उन्हें ढूँढने में सुविधा हो।

● अपने बारे में कुछ जानकारी स्वयं प्रकाशित करें जैसे -

● अपने-अपने कार्यों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी

● अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली।

● अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक वेतन, भत्ता आदि।

● अपने कार्य करने के लिए उनके मापदंड।

● उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से संबंधित नियम, नीति, आदेश इत्यादि दस्तावेज।

● कोई भी अहम निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे संबंधित सभी तथ्यों को प्रसारित करना।

● अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना।

● कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।

● हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :-

● नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है -

● सूचना देने के लिए नियुक्त 'लोक सूचना अधिकारी' का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहां बैठते हैं, कार्य करने का समय इत्यादि)

● सूचना उपलब्ध करने के साधनों की जानकारी, जैसे वाचनालय (लाइब्रेरी) का समय, इत्यादि।

❖ एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा ?

● हर विभाग में, इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक 'लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त किए गए हैं। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।

● लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की मांग का निपटारा करेंगे वे सूचना मांगने वाले को हर प्रकार से सामान्य सहायता भी देंगे।

● लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्हीं और अधिकारियों की सहायता भी मांग सकते हैं। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।

● कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे 'लोक सूचना अधिकारी' को लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें उसे अपनी मांगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे-किसी विभाग से संबंधित है, फाईल या दस्तावेज का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख इत्यादि।

- अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन (बोल कर, मुंह-जुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के बाद, लोक सूचना अधिकारी जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 30 दिन के अन्दर या तो सूचना उपलब्ध करायेंगे या कारण बताते हुए, आवेदन को नामंजूर कर देंगे।
- यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतंत्रता से संबंध रखती हो, तो सूचना 48 घंटों के अन्दर दी जानी चाहिए।
- सूचना के आवेदन पर एक सामान्य शुल्क (फी) लगेगा। यह नकद, या बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। केन्द्र सरकार ने आवेदन शुल्क 10 रुपये रखा है। गरीबी रेखा के निचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। मांगी गई सूचना पर भी कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहां सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहां लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे। सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच की अवधि 30 दिन की गिनती में नहीं आएगी सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में मांगी गई हो। जैसे अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) मांगी गई है, तो वही देनी होगी। अगर सूचना ऐसे रूप में मांगी गई हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय या पैसा खर्च हो या उन दस्तावेजों को कोई नुकसान पहुंचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज की छपी प्रतियाँ मांगे, जिन्हे छापने/फोटोकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागजी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर 'पलॉपी' इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

● क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी ?

- नहीं/कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं की सूची है जिनको देने पर प्रतिबंध हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जिनका काम सुरक्षा और गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों द्वारा इन संस्थाओं से सूचना नहीं मांगी जा सकती।
- सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है ?
- कुछ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, जैसे –
- भारत की प्रभुता, अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएं वे सूचनाएं जो राज्य की सुरक्षा विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाला सूचनाएं।
- सूचनाएं जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हो, वे सूचनाएं जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जांच पर विपरीत असर डालती हो, वे सूचनाएं जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें। वे सूचनाएं जो किसी की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करें।
- मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेजों व विचार-विमर्श। ऐसी सूचनाएं निर्णय लेने या प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जन साधारण को दी जा सकती है।
- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नाजायज फायदा या नुकसान हो सकता है।
- ऐसी सूचना जिससे संसद या विधान सभाओं के विशेष अधिकारों की मर्यादा भंग होती हैं।
- ऐसी सूचना जिससे किसी कोर्ट के विधिवत आदेश का उल्लंघन होता हो।
- ऐसी सूचना जो किसी कोर्ट की निजी सूचना है और किसी लोक गतिविधि या जनहित से संबंध नहीं रखती, या जो दिए जाने से किसी की निजीता (प्राइवैसी) का उल्लंघन करती हो। यदि सूचना

अधिकारी को लगे कि ऐसी निजी सूचना देने से किसी जनहित की पूर्ति होती है तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती है।

- कोई भी सूचना जो संसद या किसी राज्य की विधायिका को देने से मनाही नहीं हो सकती। वे सूचनायें किसी व्यक्ति को भी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- ऊपर दिए गए सभी विषयों पर ऐसी सूचना जो 20 साल से पहले हुई किसी घटना से संबंध रखती है, दी जाएगी।
- यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्त मान कर दी गई हो, तो देने से पहले, लोक सूचना अधिकारी है।
- आवेदन पाने के 5 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देंगे कि वे कौन-सी सूचना देने वाले हैं। और
- सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति के सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के 40 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे।
- इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

अगर कोई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह क्या करें ?

कोई भी व्यक्ति अगर लोक सूचना अधिकार के निर्णय से संतुष्ट न हो या उसे लगे की दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है या उसे कोई भी जवाब न मिले 'अपील' कर सकता है। अपील का मतलब है किसी उच्च अधिकारी या शक्ति से दोबारा निर्णय लेना।

यह अपील कैसे की जाएगी ?

निर्णय मिलने के 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। अपील लिखित में, असंतोष के कारण बता कर करनी होगी। 30 दिन के बाद भी अपील दी जा सकती है अगर अपील सुनने वाले अधिकारी मान लें कि देर होने के पर्याप्त कारण थे।

अपील किसे दी जाएगी ?

अपील किसी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी को दी जाएगी। इनका पद/पता संबंधित विभाग से मिलेगा। सूचना की अर्जी नामंजूर करते समय लोक सूचना अधिकारी लिखित में कारण देने के साथ, अपील अधिकारी का पूरा पता/पद इत्यादि भी देंगे।

अगर कोई इस पहली अपील से भी संतुष्ट न हो तो वह दूसरी अपील कर सकता है। यह दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को देनी होगी। यह अपील भी पहली अपील के निर्णय से 90 दिन के अन्दर देनी होगी।

पहली और दूसरी अपील को 30 दिन के अन्दर निपटाना जाएगा। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो उसके कारण लिखित में दर्ज किए जायेंगे।

जब सूचना के आवेदन को नामंजूर किया जाएगा, तभी 'अपील' करने वाले अधिकारी को पूरा नाम/पद/पता आपको बताया जाएगा। यही भी बताया जाएगा कि अपील कितने दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। इस नामंजूरी के आदेश में नामंजूरी के कारण भी बताए जाएंगे। इन करणों के आधार पर अपनी 'अपील' तैयार कर सकते हैं।

शिकायत

यदि कोई विभाग सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, पर्याप्त शुल्क से अधिक शुल्क लगाए, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न करे, अधूरी, गलत या गुमराह करने वाली सूचना दे सूचना के लिए मान करें, तो कोई प्रभावित व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

दण्ड

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, सूचना निर्धारित समय में न दे, या बिना उचित कारण के, जान बुझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना दे जो उस पर सूचना आयोग द्वारा सूचना देने तक 250/-रूपये (ढाई सौ रूपये) प्रतिदिन का दंड लगा सकती है। यह दंड अधिक 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये) तक का हो सकता है। इसके अलावा, कोई अधिकारी नियमित रूप से सूचना देने के लिए मनाही करे या उसके देने के आड़े आए तो आयोग उस पर लागू होने वाले अनुशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही का आदेश भी दे सकती है।

क्या हम नांमजूरी के विरोध में अपनी बात का न्यायिक फैसला कोर्ट में केस डाल कर ले सकते हैं ?

नहीं! इस कानून के अर्न्तगत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकदमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बताई गई अपीलों द्वारा सुनाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। इस अर्जी को 'रिट याचिका' कहते हैं। यह एक संविधानिक अधिकार है। अगर आपको लगे कि दिया गया आदेश गैर कानूनी, नाजायज या किसी और कारण से गलत है, जो हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।

- हर स्थिति में, सूचना मांगने के अधिकार का उपयोग कीजिए।
- अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए। हर विचार का मूल्य होता है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील- जनपद-

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा निवासी
..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था यदि हाँ तो उसका परिणाम

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊंगा/छुपाऊंगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता-

नाम-

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला-1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला-2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला-3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला-4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला-5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला-6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला-7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला-8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला-9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला-10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला-11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला-12 भरण-पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला-13 उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला-14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला-15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला-16 मानवाधिकार एवं विकलांगों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला-17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला-18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला-19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला-20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला-21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला-22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला-23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला-24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला-25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला-26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला-27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला-28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला-29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला-30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला-31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला-32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला-33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान

34. सरल कानूनी ज्ञान माला—34	पुलिस शिकायत प्राधिकरण: एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला—35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला—36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला—37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला—38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला—39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला—40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला—41	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला—42	शिक्षा का अधिकार— निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला—43	कानून की जानकारी आखिर क्यों

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोट:— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :-

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य सचिव

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल